5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय - उप जिलाधिकारी, लालगंज, आजमगढ़।

माँ विंध्यवासिनी सुमित्रा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट, खरौला द्वारा प्रबंधक सन्तोष कुमार बनाम —

गाँव सभा

मु०नं० T201915060400736
धारा - 80
मौ० - बालपुर
पर० - बेलादौलताबाद
तह० - लालगंज, आजमगढ़

नोट :- फोलियो के साथ नकल आदेश दिनांक — 11/03/19 के साथ संलग्न है।

उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट तह० लालगंज, आजमगढ़

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : आजमगढ़, जनपद : आजमगढ़, तहसील : लालगंज

वाद संख्या : **00736/2019**

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-**T201915060400736**

मॉं विंध्यवासिनी सुमित्रा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट खरैला द्वारा प्रबंधक संतोष कुमार बनाम गॉव सभा आदि

अंतर्गत धारा : 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद मॉं विंध्यवासिनी सुमित्रा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट खरैला द्वारा प्रबन्धक संतोष कुमार पुत्र त्रिपुरारी सा0 खरैला परगना बेलादौलताबाद तहसील लालगंज आजमगढ़ द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 80 रा0सं0 2006 बाबत आ0नं0 416 रकबा 1.260 हे0 स्थित मौजा बालपुर दाखिल हुआ। पत्रावली पर तहसीलदार लालगंज से जॉचकर आख्या मंगाई गई। तहसीलदार लालगंज द्वारा मौके की जॉचकर अपनी जॉच आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गई। तहसीलदार लालगंज द्वारा अपनी जॉच आख्या दि0 02/03/2019 में उल्लेख किया गया कि आ0नं0 416 रकबा 1.260 हे0 में से 0.880 हे0 पर मॉं विन्ध्यवासिनी सुमित्रा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट खरैला द्वारा प्रबंधक संतोष कुमार पुत्र त्रिपुरारी सा0 खरैला आदि के नाम संक्रमणीय भूमिधर के खाते में अंकित है। वादी द्वारा उक्त आ0नं0 416 रकबा 0.880 हे0 पर मॉं विन्ध्यवासिनी सुमित्रा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट खरैला द्वारा संतोष कुमार पुत्र त्रिपुरारी सा0 खरैला का विद्यालय भवन निर्माण आदि का कार्य हो रहा है। जो गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाता है। मौके पर विवादित भूमि जोती–बोई नही जाती है। इस प्रकार आ0 नं0 को अकृषिक भूमि व लगान मुक्त घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित न्यायालय में प्रेषित की गई।

पत्रावली पंजीकृत की गई। वादी द्वारा निर्धारित न्यायशुल्क व उद्घोषण मु0 76250 रू. बैंक में व उतना ही मु0 76250रू0 का स्टैम्प पेपर जमा किया गया है। तथा वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर बहस सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया गया। विवादित आ0नं0 वादी की संक्रमणीय भूमिधरी है। खाते में आ0नं0 संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। किन्तु मौके पर वादी द्वारा विद्यालय का भवन आदि निर्मित किया जा रहा है। इस प्रकार तहसीलदार की आख्या स्वीकार कर विवादित आ0नं0 को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किए जाने में कोई विधिक कठिनाई नही है।

आदेश

तहसीलदार लालगंज की आख्या स्वीकार की जाती है। ग्राम बालपुर परगना बेलादौलताबाद के वर्तमान खतौनी में आ0नं0 416 रकबा 0.880हे0 लगान मु0 6.15रू को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। आदेश का प्रभाव खातेदार पर नही होगा। वाद अनुपालन पत्रावली दा0द0 हो।

नकल प्रार्थनापत्र देने की तिथि 6-7-2020
नकल तैयार करने की तिथि 8-7-2020
नकल जारी करने की तिथि 9-7-2020
प्रतिलिपि शुल्क 10/-
शब्दो की संख्या 150
प्रतिलिपि कर्ता
तुलना कर्ता
9-7-2020

सत्य-प्रतिलिपि
पृष्ठ संख्या :

11/3/2019
(प्रियंका)
उपजिलाधिकारी
लालगंज, आजमगढ़

उपजिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट